

(100)

परिशिष्ट - XIV 171

कम विभाग

वित्तिय

10 जनवरी 1974

संख्या 1115/14-331-52 उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग

सा है कि इम्प्लिड कालेक्ट रिवर 1927 अक्ट सं 16, 1927 की धारा-29 की उपधारा - 15 के अन्तर्गत अधिगत भूमि तथा अधिगत करने में आता अधिगत भूमि को इस तरह राज्य सरकार के अधिकारों को काला हो सकार है :
 अतः उपरोक्त उपधारा के अन्तर्गत द्वारा उक्त अधिगत 1927 की धारा-29-2 के तहत अधिगत भूमि धारा की उपधारा 1115 के अन्तर्गत अधिगारों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग को काला हो सकार है कि इस प्रकार भूमि तथा अधिगत करने तक उक्त काल के अधिनियम - 1 के अन्तर्गत अधिगत भूमि में अधिगत भूमि पर लागू होते ।

अनुसूची

क्र.सं.	जिला	नाम, रकबा	कुल क्षेत्र, वर्ग मीटर और बीघों में	विवरण
1	2	3	4	5
1-	मेरठ	x	x	
2-	मुजफ्फरपुर	x		
x		x	x	
21-	पीलीभीत	1- बरेली-पीलीभीत न्योरिमा रोड	39 मीटर 3 वर्ग मीटर 10 बीघे 10	
		2- पीलीभीत-जहाभावाट	2 मीटर के 5 मीटर 2 वर्ग मीटर रोड	
		3- बरेली-दिल्ली रोड	कुल क्षेत्र 10 मीटर 3 वर्ग 330 बीघे	
		4- पीलीभीत-बरेली रोड	कुल क्षेत्र 2 वर्ग 340 बीघे तक	
		5- पीलीभीत-बरेली रोड	42 मीटर 3 वर्ग मीटर	
		6- बरेली-जहाट रोड	4 मीटर 4 वर्ग मीटर	

Sanjeev
 प्रभागिय निदेशक
 साठवाठप्रभाग, पीलीभीत

Sheet Krishna Dhanwan
 श्रील कृष्ण धवन/Sheet Krishna Dhanwan
 वरिष्ठ प्रबंध (रिटेल सेलस) /Sr. Manager (Retail Sales)
 इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि. (एम.डी.)
 Indian Oil Corporation Limited (M.D.)
 35-ए, काला नेहरु मार्ग/35-A, Kamla Nehru Marg
 बरेली-243001 (उ.प्र.)/Bareilly-243001 (U.P.)